

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी डॉ. सुनीता पंकज, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 27/2021 (2021/29)

अपीलार्थीगण :-

श्री अमित पुत्र मदन सिंह जाति माली निवासी पाली बाजार, महामन्दिर, जोधपुर

**बनाम**

प्रत्यर्थीगण :-

1. प्रकाश सिंह गहलोत पुत्र झमनलाल गहलोत जाति माली निवासी 04, गुरु राजाराम नगर द्वितीय, परिहार नगर, भदवासिया, जोधपुर
2. तहसीलदार जोधपुर।



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 3920 दिनांक 03.12.2021 ग्राम पूंदला जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री सतवन्त सिंह (प्रत्यर्थी स. 1)।

—: आदेश :- दिनांक :- 30.05.2024

अपीलार्थीपक्ष ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 3920 दिनांक 03.12.2021 ग्राम पूंदला जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरुद्ध पेश की है जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्नानुसार है।

अपीलान्त एवं मदन सिंह के उतराधिकारियों की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम पूंदला, तहसील जोधपुर खसरा न. 214 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वांसी, खसरा न. 216 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा न. 215 रकबा 11 बिस्वा, खसरा न. 223/4 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा 7 बिस्वांसी में आई हुई है जिसमें अपीलान्त का हिस्सा 1/5 है। अपीलान्त ने उपरोक्त भूमि में से अपने 1/5 हिस्से की भूमि को दिनांक 14.09.2021 को एक करोड़ अस्सी लाख

अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय)  
जोधपुर

रूपये में उम्मेद सिंह पुत्र राम सिंह जाति माली निवासी जूनी बागर महामंदिर, जोधपुर के साथ बेचान का सौदा कर पांच लाख रूपये एडवान्स लेकर उसके पक्ष में बेचान का इकरारनामा निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवा कर उम्मेद सिंह को सौंप दिया। तत्पश्चात अपीलान्त एवं मदन सिंह के अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा कराने के लिए पटवारी हलका से सम्पर्क करने पर अपीलान्त को ज्ञात हुआ कि अपीलान्त के हिस्से का आम मुख्तयार के आधार पर बेचान होकर दिनांक 03.12.2021 को अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार हो चुका है। पटवारी हलका से अपीलाधीन नामा. संख्या 3920 की नकल तथा आम मुख्तयारनाम की प्रति प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि दीपांशु पुत्र महेन्द्र सांखला ने प्रकाश सिंह व अन्य के साथ षड्यन्त्र रचकर अपीलान्त के हिस्से की जमीन हडपने की नीयत से फर्जी मुख्तयारनामे की कूटरचना कर उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रकाश सिंह के पक्ष में बेचान की रजिस्ट्री करवा दी तथा तहसीलदार, जोधपुर द्वारा बिना कब्जे की जांच किये तथा अपीलान्त को नोटिस दिए बिना ही अपीलान्त के हिस्से की भूमि को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3920 दिनांक 03.12.2021 को स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रकाश सिंह के नाम से इन्द्राज कर दिया। प्रार्थनापत्र के अन्त में फर्जी एवं कूटरचित आम मुख्तयारनामे के आधार पर किये गये बेचान के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3920 दिनांक 03.12.2021 को निरस्त कर राजस्व रेकॉर्ड में दिनांक 03.12.2021 को पहले के इन्द्राज बहाल करने की इस्तदुआ की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी स. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सतवन्त सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकॉर्ड तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त किया गया।

प्रकरण में अपीलार्थीपक्ष द्वारा दिनांक 13.05.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अ./धा. 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि स्वर्गीय मदन सिंह परिहार की भूमि ग्राम पूंजला तहसील एवं जिला जोधपुर में स्थित खसरा संख्या 214,215,216,223/4 में से उनके वारिसान अमित परिहार व माया देवी के हक हिस्से में कुल रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा 07 बिस्वांशी भूमि आई थी। उक्त भूमि में से रकबा 17 बिस्वा 9.4 बिस्वांशी भूमि को दीपान्शु सांखला द्वारा एक फर्जी एवं कूटरचित आममुख्तयारनामा दिनांक 23.09.2021 के द्वारा प्रकाश सिंह गहलोत पुत्र झमनलाल गहलोत को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.10.2021 के द्वारा बेचान कर दिया गया एवं उक्त बेचाननामों के



अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय)  
जोधपुर

आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में प्रकाश सिंह गहलोत का नाम इन्द्राज करवाते हुए अपीलाधीन नामा. संख्या 3920 पारित करवा लिया। अपीलार्थी अमित परिहार द्वारा उक्त आममुख्यारनामा दिनांक 23.09.2021 एवं इसके आधार पर निष्पादित बेचाननामा को शून्य घोषित करवाने हेतु न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश, संख्या-2, जोधपुर महानगर के समक्ष एक दीवानी वाद प्रस्तुत किया जो वाद सुनवाई हेतु अति. सिविल न्यायाधीश संख्या 08 जोधपुर महानगर को अन्तरित कर दिया गया। न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश संख्या 08, जोधपुर महानगर ने अपने आदेश दिनांक 18.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी अमित परिहार के द्वारा प्रस्तुत दीवानी वाद को डिक्री किया जाकर उक्त पंजीकृत बेचाननामे को शून्य घोषित कर दिया है एवं संबंधित उपपंजीयक को इस आशय का नोट अभिलेख में अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रार्थना पत्र के अन्त में बेचाननामे के शून्य घोषित होने के कारण पारित नामा. संख्या 3920 दिनांक 03.12.2021 को खारिज करते हुए आलोच्य नामान्तरण से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया।



उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा दिनांक 13.05.2024 को अपनी बहस प्रस्तुत की गई। विद्वान अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा अपनी गुणावगुण बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी ने धोखाधड़ी से किये गये बेचाननामे को निरस्त करने बाबत एक दावा अति. सिविल न्यायाधीश संख्या-02, जोधपुर महानगर में पेश किया। जिसे सुनवाई हेतु अति. सिविल न्यायाधीश, संख्या-8, जोधपुर महानगर को स्थानान्तरित कर दिया गया है। जो दीवानी मूल वाद संख्या 07/22 एनसीवी संख्या 15/2022 बअनवान अमित बनाम प्रकाश के नाम दर्ज हुआ व बाद सुनवाई दिनांक 18.09.2023 को डिक्री किया जाकर उक्त आम मुख्ख्यारनामा दिनांक 23.09.2021 व बेचाननामा दिनांक 14.10.2021 को शून्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उक्त डिक्री के प्रभाव से आम मुख्ख्यारनामा दिनांक 23.09.2021 व बेचाननामा दिनांक 14.10.2021 एवं उसके पश्चात् उक्त बेचाननामों के आधार पर की गई समस्त कार्यवाहियां कानूनन निरस्त व शून्य हो चुकी है। उक्त बेचाननामा के आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण भी निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें।

हमने अपीलान्त अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तरकरण व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अ./धा. 151 सी.पी.सी. के संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 14.10.2021 जो उप पंजीयक कार्यालय तृतीय जोधपुर की पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 1103

अतिरिक्त जिला क्लर्क, (तृतीय)  
जोधपुर

के पृष्ठ संख्या 52 के क्रम संख्या 202103053109902 पर पंजीबद्ध है उसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उस बेचाननामा को न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश संख्या 08 जोधपुर महानगर द्वारा दिनांक 18.09.2023 को जरिये डिक्री के शून्य घोषित किया गया। जिस बेचाननामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था उस बेचाननामा को न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश संख्या 08 जोधपुर महानगर द्वारा निरस्त किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 3920 दिनांक 03.12.2021 ग्राम पूंदला जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(डॉ. सुनीता पंकज)  
अपर जिला कलक्टर (तृतीय)  
जोधपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय)  
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुनीता पंकज)  
अपर जिला कलक्टर (तृतीय)  
जोधपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय)  
जोधपुर

